

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म0प्र0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक

/दो-11-05/2024

भोपाल, दिनांक 08.04.2024

प्रशासकीय कार्य व्यवस्था की दृष्टि से इस न्यायिक जिला स्थापना में पदस्थ होकर कार्यरत तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापना निम्नानुसार की जाती है:-

1. श्री आर्शीवाद भिलाला, अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैरसिया के न्यायालय के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण श्री पवन कुमार बांदिल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैरसिया के न्यायालय में किया जाता है।
2. श्री रवि कुमार बौरासी, चौबीसवें व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कु. लक्ष्मी बास्कले, बाईसवें व्यव0 न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में किया जाता है।
3. सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, पंचम व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण श्री शरद कुमार जायसवाल, दशम व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में किया जाता है।
4. श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, बाईसवें व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण श्री अग्नीन्द्र द्विवेदी, चौबीसवें व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में किया जाता है।
5. श्रीमती अश्विनी सिंह, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण सुश्री पलक राय, तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में किया जाता है।
6. श्रीमती सोनम वर्मा, बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण का स्थानान्तरण श्रीमती अश्विनी सिंह, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में किया जाता है।
7. श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, चौदहवें व्यव. न्याया. कनिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण सुश्री आरती आर्य, ग्यारहवें व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में किया जाता है। (श्रीमती अनुपा कन्नन अटैच लिपिक को छोड़कर)
8. सुश्री एकता ठाकुर, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण श्री राहुल कुमार नामदेव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भोपाल के न्यायालय में किया जाता है। (श्रीमती नसरिन साहिल खान, अटैच शीघ्रलेखक ग्रेड-2 को छोड़कर) (सुश्री एकता ठाकुर के मातृत्व अवकाश के फलस्वरूप)
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल, (म0प्र0)

पृ.क्रमांक

/दो-11-05/2024

भोपाल, दिनांक 08.04.2024

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैरसिया
2. पंचम/दशम/ग्यारहवें/बारहवें/तेरहवें/बीसवें/बाईसवें/चौबीसवें व्यव. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल,
3. प्रथम/ग्यारहवें/चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भोपाल
4. जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, भोपाल,
5. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, भोपाल,
6. संबंधित कर्मचारी को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित,
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल,
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर उक्त आदेश की प्रति बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु,
9. लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल, की ओर सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल, (म0प्र0)